न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 65 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. हेमाराम पुत्र राउराम 2. देवाराम पुत्र राउराम 3. केसाराम पुत्र राउराम 4. जमनादेवी पत्नी राउराम जाति जाट निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर	1. जैसाराम पुत्र चिमाराम 2. लच्छाराम पुत्र चिमाराम जाति जाट निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी, तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार नौखड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13 / 2023 (2023 / 36) बउनवान जैसाराम बनाम हेमाराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मेघाराम चौधरी उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री नृसिंह सोलंकी उत्तरदाता संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / उत्तरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी, तहसील नौखड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 410 रकबा 0.6313 हैक्टेयर का आया हुआ हैं। विवादित भूमि वादी / उत्तरदाता संख्या 01 एवं शेष पक्षकारान के संयुक्त कब्जे

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्त की अविभाजित भूमि है। वादी का 1/3 हिस्सा की भूमि का भौतिक कब्जा काश्त, आवास व्यवस्था एवं आवागमन की सुविधा व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पृथक कर पृथक खाता कायम किये जाने हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया। अपीलांटगण ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब व प्रतिदावा पेश कर वादी व प्रतिवादीगण के पैतृक संयुक्त सामलाती कब्जा काश्त की भूमि तहसील नौखड़ा पटवार क्षेत्र गोलिया जेतमाल ग्राम बामणी सारणों की ढाणी की ढाणी के खसरा संख्या 410 रकबा 0.6313 हैक्टेयर, ग्राम डउकियो की ढाणी के खसरा संख्या 54/4 रकबा 3.1808 हैक्टेयर, ग्राम मीठी बेरी के खसरा संख्या 10/1 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा संख्या 10/8 रकबा 3.0432 हैक्टेयर, खसरा संख्या 11 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 126/1 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा संख्या 126/3 रकबा 3.3022 हैक्टेयर आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा करने हेतु वाद के साथ प्रतिदावा पेश किया गया। पक्षकारान के मध्य पारिवारिक मौखिक बंटवारा हो रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित की गई। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान के मध्य पारिवारिक मौखिक विभाजन हो रखा है जिसमें मौजा मिठी बेरी के खसरा संख्या 10/1 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा संख्या 11 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 10/8 रकबा 3.0432 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 05 लच्छाराम के बंट में, मौजा बांकाणी सारणो की ढाणी के खसरा संख्या 410 रकबा 0.6313 हैक्टेयर, ग्राम मीठी बेरी खसरा संख्या 126/3 रकबा 3.3022 हैक्टेयर, ग्राम लोहमरोड़ व नेणो की ढाणी के खसरा संख्या 54/4 रकबा 3.1808 हैक्टेयर में से 1.1897 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या

(नव...
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

01 से 04 अपीलांटगण के बंट में है। इसी बंटवारा के अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो आगे नहीं चलाने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई। उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध की प्रमाणित प्रतिलिपी फॉर्म संख्या 03 के संलग्न सुलभ अवलोकनार्थ पेश की गई। वादी द्वारा एक खसरा का बंटवारा करने हेतु दावा पेश किया गया। जबकि कानून में प्रावधान है कि बंटवारे हेतु समस्त संयुक्त खातेदारी की आराजी का एक ही दावा पेश किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नौखड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार नौखड़ा द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर आर. आई द्वारा उतरदाता/वादी के प्रभाव में आकर वादग्रस्त भूमि पर जाये बिना कमरे में बैठकर वादी के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरीत तैयार किया गया, जिस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हस्तगत वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। मौजा मीठी बेरी के खसरा संख्या 126/3 में से अपीलांटस की भूमि कम करते हुए रास्ते का अनावश्यक प्रावधान रखा गया। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांटगण की ढाणियां, टांके, चार बाड़े, पशु बाड़े का कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया। अपीलांटगण के कब्जा काश्त की भूमि एवं रहवासी ढाणी उत्तरदाता को दे दी गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान के भौतिक कब्जा, भूमि की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिये गये। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार नौखड़ा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त की जांच नहीं की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार नौखड़ा स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किये गये जो अपीलांटस से तामील है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित थे लेकिन विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये। खसरा संख्या 126/3 उत्तरदाता/वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। खसरा संख्या 126/3 आगे वादी के खातेदारी का खेत है। बंटवारे के वक्त वादी/उत्तरदाता अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ता नहीं रखेगा तो उसे बाद में पड़ौसी खातेदार रास्ता नहीं देंगे इसलिए रास्ते का विधि सम्मत प्रावधान रखा गया। खसरा संख्या 410 वादी/उत्तरदाता की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसमें वादी के कब्जे काश्त के अनुसार हस्तगत बंटवारे में भूमि दी गई। अपीलांटस की मंशा उत्तरदाता/वादी के खातेदारी अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर बंटवारा नहीं होने देने की है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

उत्तरदाता संख्या 02 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेरे विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त सुनवाई का समुचित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मूल वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के प्रतिकूल विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार प्रकरण को रिमांड फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की वहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। उत्तरदाता संख्या 02 के नाम मूल वाद दर्ज होने के पश्चात सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार नौखड़ा द्वारा उभयपक्ष के नाम से सम्मन जारी किये गये जो पक्षकारान से विधि सम्यक तामील करवाये गये। प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद भी उत्तरदाता संख्या 02 मातहत अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील पेश नहीं की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांटस को प्राथमिक निर्णय व डिक्री स्वीकार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार नौखड़ा स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश किया, जिस पर दिनांक 10.03.2025 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस मौके पर उपस्थित आये लेकिन विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति पेश की जिसे विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार नौखड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2023 (2023/36) बउनवान जैसाराम बनाम हेमाराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

16/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर